गोपनीय एवं त्वरित कार्यवाही हेत् विशेष अनुरोध-पत्र

प्रेषक.

एन. सिंह सेंगर. समाजसेवी.

निवासः ताजपुर-बिधूना, जनपद औरैया, उ. प्र.,

मोबाइल 7302757448

सेवा में.

अध्यक्ष-सचिव.

उच्चशिक्षा विभाग, केन्द्रीय शासन, भारत सरकार।

ई-मेल द्वारा प्रेषित

विषयः छ.शा.म.वि.वि.कानपुर से संबद्ध स्ववित्तपोषी कालेजों में पदासीन फर्जी प्राचार्यों-प्रोफेसर्स पर अंक्श हेत्।

उत्तर प्रदेश राज्य के छत्रपति शाहजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध स्ववित्तपोषी कालेजों में फर्जीबाडे चरम पर हैं। इन कालेजों में फर्जी प्राचार्य-प्रोफेसर्स की पदासीनताएँ व अमानक शिक्षण-प्रशिक्षण से विद्यार्थी-भविष्य एवं उच्चशिक्षा बुरी तरह प्रभावित हैं। इन कालेजों के अनुमोदित प्राचार्य-प्रोफेसर्स कालेज मान्यता एवं विश्वविद्यालय-पेपर्स फर्जीबाडों तक सीमित तथा कालेज-कार्यों से विलोपित और अन्य नौकरी-व्यवसायों में संलिप्त हैं। इन कालेजों के प्रबंधक छात्रों से भारी शुल्क वस्तुन के बावजूद भी मानकी शिक्षकों से शिक्षण-प्रशिक्षण नहीं कराते हैं। इसके बावजूद कालेजों में स्नातक, परास्नातक बी.एड, डी.इल.एड,लॉ,बी.एड, एम बी.बी.एस.की मान्यता व संचालन जारी है। यह कैसी बिडंबना है कि जिन्हें दिशाओं व शब्दों तक का ज्ञान नहीं है, उन्हें धन-नकल प्रभाव में सांइस में स्नातक-परास्नातक शिक्षा-डिग्री से विभूषित किया जा रहा है।

महोदय, स्ववित्तपोषी कालेजों के प्रबन्धक और उनके परिजन सम्बन्धी स्वयं-भू प्राचार्य व प्रोफेसर बने बैठे हैं। प्रबन्धक-दलाल प्राचार्य पद के फर्जी हस्ताक्षर स्वयं करके व प्राचार्य-शिक्षकों के वेतन-भत्ते, छात्रवृत्ति सहित कालेज शैक्षिक धन-सम्पत्ति का दुर्पयोग कर गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ कर रहे हैं। यह छात्रों को कालेज के मानकी शिक्षण से जबरदस्त वंचित कर फर्जी कक्षा-उपस्थिति व नकल कराकर धन उगाही करते हैं। कालेजों में दिखने वाले स्वयं-भू प्राचार्य-प्रोफेसर्स की पदासीनता दलाली व फर्जीबाडे आधारित हो रही है।

महोदय, छत्रपति शाहूजी महाराज वि.वि.कानपुर से संबद्ध डिग्री कालेजों में स्वयं-भू प्राचार्यों, प्रोफेसर्स, दलालों व घरेलू-बाजारू ट्यूशन-कोचिंग करने वालों की भरमार दिखती है। अधिकांश डिग्री कालेज कुख्यात नेताओं अपराधियों के अड्डे व अवैध कमाई के स्रोत बने हुए हैं। कालेजों में आयुध-प्रदर्शन कर राजनीति तथा भ्रामक विज्ञापन से फंसाकर छात्र शोषण व नकल-पास डिग्री ठेका से धन वसूली होती है। कालेजों के जरूरत विज्ञापन फर्जी एवं वि.वि. मानकी आवेदकों की उपेक्षाकर दलालों द्वारा उपलब्ध प्रपत्रा पर शिक्षक बना रहा है।

महोदय, स्ववित्तपोषी कालेज व्यक्ति-समाज और उच्चशिक्षा के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। कालेजों में स्वयंभू-फर्जी प्रोफेसर्स-प्राचार्यो और अमानक व्यवस्थाओं के फर्जीबाडे व्यक्ति व समाज को पंगू बना रहे हैं। जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों की संलिप्तता व कालेजों के फर्जीबाडो-अवैध वसुलियों में शिक्षा-वि.वि. की हिस्सेदारी जग-जाहिर हैं। कालेज प्राचार्यों, शिक्षकों, प्रबंधतंत्रों, मान्यता, संबद्धताओं, परीक्षाकेंद्रों का अनुमोदन व परीक्षा में नकल भ्रष्टाचारियों की काली कमाई के स्रोत बन गए है। विद्यार्थी मानकी शिक्षा पाने हेत् भटक रहे हैं। जिस पर जबाबदेह अंकुश लगाए बिना व्यक्ति, समाज, देश और शिक्षा के हितों की सुरक्षा संभव नहीं है।

अतः अनुरोध है कि, उक्त तथ्यों-सुझावों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर उ.प्र. के छ.शा.म.विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों में व्याप्त फर्जीबाड़ों पर अंकुश लगाकर एवं कालेजों में पदासीन फर्जी प्राचार्यों प्रोफेसर्स वाले शिक्षण संस्थाओं की मान्यताएँ निरस्त कर कालेजों में मानकी शिक्षण-व्यवस्था जनहित में अवश्य प्रदान करें।

आदर सहित।

भवदीय

दिनांक 08-01-2021

(एन सिंह सेंगर)

निवास-ताजपुर, बिधूना, जनपद औरैया, उ.प्र..

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् विभागीय ई-मेल पते से प्रेषित प्रतिलिपि अध्यक्ष—सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई-दिल्ली।

- 2. अध्यक्ष-सचिव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश।
- 3. अध्यक्ष-सचिव-निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद, भारत सरकार, नई-दिल्ली।
- 4. अध्यक्ष-सचिव-निदेशक, राज्य शिक्षक प्रशिक्षण परिषद, उ.प्र. लखनऊ।
- 5. अध्यक्ष-सचिव-निदेशक, आल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नीकल एजूकेशन एवं एन.सी.ई.आर.टी. भारत सरकार, नई दिल्ली